



**संपादकीय**

**जो जीवन नहीं है जल**

**अ**क्सर कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन यह जल यदि दूषित हो तो क्या इसे जीवन कहा जा सकता है? यूं तो देश के गांवों में महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन जोर-शोर से चलाया जाता रहा है। लेकिन यह बात परेशान करती है कि पेयजल का बड़ा हिस्सा प्रदूषित पाया गया है। लोग सेहत के लिये हानिकारक जल पीने को मजबूर हैं। फलतः इससे उत्पन्न बीमारियों की चुनौतियों का सामना करने को बाध्य होते हैं। यह हमारे नीति-नियंत्रणों की विफलता ही कही जाएगी कि देश के करोड़ों लोग आज भी स्वच्छ जल की उपलब्धता से वंचित हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश के तमाम इलाकों में लिए गए दूषित पेयजल नमूनों के करीब दो तिहाई हिस्से को शुद्ध करने के प्रयास नहीं हुए हैं। जो इस बात को दर्शाता है कि आज भी देश के करोड़ों लोग स्वच्छ पेयजल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति हमारे विकास के मॉडल व तरक्की के दावों की तार्किकता पर प्रश्न चिह्न लगाती है। यही वजह है कि दूषित जल से होने वाले रोगों का दायरा बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है कि जोर-शोर से घर-घर नल से जल पहुंचाने की सार्थक पहल की गई। निस्संदेह, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे अपने घर में स्वच्छ पेयजल मिले। इसी मकसद से साल 2019 में जल जीवन मिशन को सिर चढ़ाया गया था। लेकिन इस योजना के सुरक्षित तरीके से संचालन और स्वच्छ जल आपूर्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। यह हकीकत है कि जब लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता तो कई तरह के रोगों के पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कहा भी जाता है कि हमारे अधिकांश रोग पेट से ही शुरू होते हैं। खासकर बच्चों व बुजुर्गों के लिये यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। जिससे बचने के लिये स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है।

देश में बार-बार स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों प्रदूषित पेयजल से होने वाली मौतों ने देश में खतरों की घंटी बजायी। घटना ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि इस दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में देश के सामने गंभीर स्वास्थ्य चुनौती पैदा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों तक पहुंचाए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की परख के लिये पानी के सैंपल लिए जाते हैं। साथ ही स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि बीते साल जल जीवन मिशन के तहत तमाम राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पेयजल सैंपलों की जांच की गई। लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि कुल नमूनों के छब्बिस प्रतिशत को ही शुद्ध करने के प्रयास हुए।

आखिर देश के किसी भी भाग में पेयजल के सैंपल लेने का क्या औचित्य रह जाता है, जब प्रदूषित जल को लेकर उपचारात्मक प्रयास न किए जाए। सवाल केवल ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का ही नहीं है, शहरी इलाकों में शुद्ध जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। गाढ़े-बगढ़े देश के शहरी इलाकों में भी प्रदूषित जल पीने से बीमार होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन स्थानीय निकाय इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लेते। संपन्न लोग तो आरओ तथा फिल्टर आदि वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन कमजोर वर्ग व सामान्य लोग दूषित पानी के उपयोग के लिये मजबूर होते हैं। स्वच्छ जल प्राप्त करना हर नागरिक का मौलिक व जीवन रक्षा का अधिकार जैसा है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। इंदौर की घटना से सबक लेकर स्थानीय निकायों और प्रशासन को पेयजल व सीवर लाइन को सुरक्षित दूरी पर रखना सुनिश्चित करना चाहिए। जिन इलाकों में पेयजल पाइप लाइन को बिछे दरकों हो गए हैं, वहां उन्हें बदलने का काम युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों में काम आने वाले प्लाज की गुणवत्ता सुधारने तथा चातक रसायनों से उसे मुक्त करने की दिशा में गंभीर पहल की जाए।

**संजीव-नी**

**सबसे भोली मुस्कान**  
माँ की मुस्कान।

**जब माँ मुस्काती है**  
तो लगता है जैसे धरती ने सूरज को आँचल में पाल लिया हो।

**सबसे भोली मुस्कान,**  
माँ की मुस्कान होती है,  
जैसे धके हुए जीवन पर शीतल वरदान होती है।

**जब-जब दुनिया ने**  
काँटों से राह सजाई,  
माँ ने चुपके से आँचल की छाँव बिछाई।  
अपने दुख को आँचल में समेटे वह चुपचाप सो जाती,  
पर बच्चों की हँसी में अपनी पधूर मुस्कान खोजती है।

**घर की सूनी दीवारों पर**  
रंग वही भर देती मूझाए मन की बरिया में फिर से बसंत रख देती है।

**उसकी हँसी में**  
रोटी की महक रहती है,  
उसकी आँखों में ईश्वर की छवि बसती है।

**संजीव छफ़्फ़ू,**  
रायपुर छत्तीसगढ़

**सुविचार**

**नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो..**

**ज़िंद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो..!!**

**अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति एवं लोकतांत्रिक मूल्य**

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष को संसद की निष्पक्षता और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है और इस संस्था के प्रति अनावश्यक राजनीतिक टकराव लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके राजनीतिक दल कितनी परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि विपक्ष अपनी भूमिका को गंभीरता और रचनात्मकता के साथ निभाए और सत्ता पक्ष भी संवाद के लिए खुलेपन का परिचय दे, तो भारतीय लोकतंत्र न केवल मजबूत होगा बल्कि विश्व के सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत करेगा। यही वह मार्ग है जो संसद की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रहित-तीनों की रक्षा कर सकता है...



ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था संसद है, जहां न केवल कानून बनते हैं बल्कि राष्ट्र की दिशा और दशा पर गंभीर विमर्श भी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी भूमिका को लोकतांत्रिक तरीके से जिम्मेदारी, संयम और मर्यादा के साथ निभाए, यह नितांत अपेक्षित है। किंतु हाल के दिनों में जिस तरह से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष योग बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में आया, उसने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या विपक्ष वास्तव में संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर है या वह केवल स्वार्थ की राजनीतिक करने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक गंभीर संसदीय कदम माना जाता है। यह केवल राजनीतिक विरोध का साधन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे ठोस तर्कों, गंभीर आरोप और व्यापक समर्थन होना अपेक्षित होता है। किंतु जिस प्रकार विपक्ष ने यह प्रस्ताव लाया और बाद में उसकी गंभीरता, अभाव दिखाया, उसने इस पूरी प्रक्रिया को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब यह प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हुआ तो विपक्ष

ने मतदान की मांग तक नहीं की। यदि विपक्ष को अपने प्रस्ताव पर पूरा विश्वास होता और उसे लगता कि वह सदन का समर्थन प्राप्त कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से मत विभाजन की मांग करता। लेकिन ऐसा न होना इस तथ्य को ही पुष्ट करता है कि विपक्ष स्वयं भी जानता था कि यह प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक स्थिति तब देखने को मिली जब प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर आया तो विपक्ष ने स्वयं उस पर चर्चा करने के बजाय पश्चिम एशिया के संकट पर बहस की मांग शुरू कर दी। यह विषय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, किंतु यदि विपक्ष ने स्वयं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो उसे पहले उसी पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए थी। सरकार की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा से पीछे नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही को नियमित और प्राथमिकताओं के अनुसार चलाना आवश्यक है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस अपने ही प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं थी। इस अवसर पर ही नहीं, अनेक अवसरों पर उसने गैर-जिम्मेदारी एवं बचकानेपन का अहसास कराया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। किंतु जब विपक्ष केवल राजनीतिक आरोपों और शोर-शराबे तक सीमित रह जाए तो लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ने लगता है। यहां सत्ता-पक्ष के लिये भी यह गौर करने की बात है कि आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बातों को अनसुना किया जाता है? पक्ष एवं विपक्ष दोनों को ही विश्वास, समन्वय एवं सौहार्द बनाने रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। नेता प्रतिपक्ष रहलू गांधी का व्यवहार भी कई बार संसदीय मर्यादाओं

के संदर्भ में चर्चा का विषय बना है। यह सच है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें सरकार की आलोचना करने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि संसदीय नियमों और परंपराओं को दरकिनार कर दिया जाए। संसद की कार्यवाही स्पष्ट नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन चलती है और इन नियमों का पालन करना हर सांसद की जिम्मेदारी है। बीते कुछ समय से रहलू गांधी संसद के भीतर और बाहर यह आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिकी के साथ व्यापार समझौते के मामले में प्रधानमंत्री ने समर्पण कर दिया है। इस तरह के आरोपों को उन्होंने कई मंचों पर दोहराया है, किंतु इन दावों के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार उन्होंने चुनाव आयोग पर भी यह आरोप लगाया कि वह मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने वाले होते हैं और यदि ये प्रमाणों के बिना बार-बार दोहराया जाए तो यह लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए भी उचित नहीं माना जा सकता। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में विस्तार से यह बताया कि लोकसभा अध्यक्ष पर बोलने का अवसर न देने का आरोप लगाने वाले रहलू गांधी ने स्वयं कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संसद के विभिन्न सत्रों के दौरान उनकी उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही है और कई बार महत्वपूर्ण बहसों के दौरान वे विदेश यात्राओं पर रहे। इन तथ्यों को सामने रखते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि संसद में सक्रिय भागीदारी ही कम होगी तो संसदीय विमर्श को प्रभावित कैसे बनाया जा सकेगा। जहां तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रश्न है, उनका कार्यकाल कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने सदन की कार्यवाही को संतुलित,



संयमित और नियमबद्ध ढंग से संचालित करने का प्रयास किया है। उनके नेतृत्व में संसद की कार्यवाही को अधिक उत्पादक बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए। उन्होंने सांसदों को समयबद्ध तरीके से बोलने का अवसर देने, युवा सांसदों को अधिक सक्रिय करने और संसदीय समितियों की भूमिका को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया। ओम बिरला की एक बड़ी विशेषता उनका शांत, संयमित और संवादपरक स्वभाव है। वे अक्सर सभी दलों के नेताओं से संवाद स्थापित कर सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार जब सदन में तीखी बहस या हंगामा की स्थिति बनी, तब भी उन्होंने धैर्य और संतुलन के साथ कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनके कार्यकाल को संसदीय परंपराओं के सम्मान और लोकतांत्रिक संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां लगभग डेढ़ अरब लोगों की आकांक्षाएं, विविधताएं और विचार संसद के माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। यह लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर संवाद, विमर्श और जवाबदेही की प्रक्रिया है। संसद इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्रीय मंच है। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि वहां होने वाली बहसें गंभीर,

तथ्यपूर्ण और मर्यादित हों। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में संसद में हंगामे और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की प्रवृत्ति बढ़ी है। कई बार महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय राजनीतिक टकराव का माहौल बन जाता है। इससे न केवल संसद की गरिमा प्रभावित होती है बल्कि जनता के मन में भी यह प्रश्न उठता है कि क्या उनके प्रतिनिधि वास्तव में राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया यह अविश्वास प्रस्ताव भी इसी प्रवृत्ति का एक उदाहरण प्रतीत होता है। जब विपक्ष स्वयं अपने प्रस्ताव को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाता, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न खड़े करता है। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, बल्कि वह आवश्यक भी है, लेकिन असहमति को जिम्मेदारी और तर्कसंगतता के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे संसद को उदरगत का मंच बनाने के बजाय संवाद का मंच बनाएं। यदि संसद में गंभीर बहसें होंगी, तथ्यात्मक तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे और नीतियों पर सार्थक चर्चा होगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा केवल राजनीतिक आरोपों और प्रतीकात्मक कदमों से लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को आघात पहुंच सकता है।

**नाना फड़नवीस : मराठा कूटनीति का चाणक्य**

**मराठा साम्राज्य का**  
संदर्भ आते ही आंखों के समूहक छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि उभरती है, जिन्होंने मुगलों के काल में भारत में मराठा साम्राज्य को न केवल एक शक्ति के रूप में स्थापित किया बल्कि राजनीति, कूटनीति, प्रशासन एवं युद्धशैली को नवल अर्थ भी दिए। किंतु शिवाजी महाराज के अवसान के पश्चात् सुयोग्य एवं दूरदर्शी नेतृत्व के अभाव में मराठा शक्ति क्षीणतर होती गई और राज्य संचालन एवं प्रशासन के सूत्र पेशवा (प्रधानमंत्री) के हाथों में स्थानांतरित होते गये। छत्रपति शाहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को प्रथम पेशवा (प्रधानमंत्री) के रूप में नामित किया था। छत्रपति शाहूजी महाराज के द्वारा मनोनीत पेशवा पद वंशानुगत हो गया और कालांतर में पेशवा ही मराठा शासक के रूप में स्थापित हो गये। नाना फड़नवीस पेशवा के अधीन एक राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ के साथ ही कुशल युद्धनीतिज्ञ, दूरदर्शी, स्वाभिमान, चतुर प्रशासक और मराठा साम्राज्य के हितैषी थे। उन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध की पराजय से बिखरी मराठा सैन्य शक्ति, कमजोर आर्थिक स्थिति और निरंकुश प्रशासन को अपनी कार्य कुशलता से पुनः स्थापित किया। इतिहासकारों ने नाना फड़नवीस को मराठा साम्राज्य का चाणक्य और मैकियावेली कहा। वह निःस्वार्थ सेवा-साधना, समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठ के अनुपम उदाहरण बन गये। नाना फड़नवीस का जन्म सहायद पर्वत श्रंखला क्षेत्र में प्रवाहित कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित मराठा शक्ति-केन्द्र सतारा में 13 फरवरी, 1742 को हुआ था। इनका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, किंतु नाना फड़नवीस के नाम से कीर्ति पताका अद्यावधि फहर रही है। छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ भट्ट

को पेशवा नियुक्त किया जो 1720 तक पदस्थ रहे। नाना फड़नवीस के दादा बालाजी महारजी भानु पेशवा के मित्र और मराठा साम्राज्य सेवा में कार्यरत थे। मुगलों द्वारा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हत्या की रची गई साजिश का पर्दाफाश कर पेशवा की प्राण रक्षा करने पर नाना फड़नवीस के दादा को फड़नवीस की उपाधि प्रदान की गई थी, जो आगे चलकर उनके वंश की पहचान बन गई। 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम पेशवा रहे, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारे और मराठा साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। 1740 से 1761 तक बालाजी बाजीराव पेशवा का कार्यकाल रहा, जिनके सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। नाना फड़नवीस इन्हीं सदाशिवराव भाऊ के सचिव थे। पेशवा बालाजी बाजीराव के तीन पुत्र थे विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। वर्ष 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमदशाह अब्दाली और पेशवा के बीच हुआ। इस भयंकर युद्ध में मराठों की करारी हार हुई, शक्ति हिन-भिन्न हो गई और आर्थिक स्थिति बदतर हो गई। युद्ध में राजकुमार विश्वासराव, सेनापति सदाशिवराव भाऊ सहित हजारों मराठा वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। नाना फड़नवीस सहित सीमित संख्या में मराठा नायक ही शेष बचे थे। आगे युद्ध की हार और पूर वियोग में पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक मंदिर में शोकावस्था में प्राण त्याग दिए। तब 1761 में बालाजी के 17 वर्षीय द्वितीय पुत्र माधवराव पेशवा पद पर आरूढ़ हुए। नाना फड़नवीस के परामर्श से पेशवा माधवराव मराठा साम्राज्य की गिरती साख को न केवल संभाल पाये बल्कि राज-काज को सुव्यवस्थित कर राज्य की बदहाली को दूर कर राजकोष को समृद्ध किया। इसी दौरान नाना फड़नवीस के नेतृत्व में निजाम पर पाजित कर एक बड़ा क्षेत्र मराठा राज्य में मिला लिया। फड़नवीस की राह फूलों भरी नहीं, बल्कि कटकमय थी। पेशवा माधवराव का सगा चाचा रघुनाथ राव राधोबा स्वयं पेशवा बनने की इच्छा पाले हुए था, और कुचक्र रच रहा था। किंतु नाना फड़नवीस की बुद्धिमता, राजनीतिक समझ और

प्रशासन पर सख्त पकड़ के चलते विरोधी सफल नहीं हो पा रहे थे। नाना ने अपनी मेधा से एक बहुत चतुर गुप्तचर विभाग स्थापित किया था, जो राज्य के किसी भी कोने में पेशवा के विरुद्ध रची जा रही दुर्भिक्षिण की सूचना नाना फड़नवीस को यथाशीघ्र पहुंचा देता था। मराठा राज्य विकास के पथ पर बढ़ रहा था पर नियति ने खेल खेला, पेशवा माधवराव का 1772 में निधन हो गया। छोटे भाई नारायणराव अब पेशवा बने, किंतु इनमें न राजकाज की पर्याप्त समझ थी और न ही राजनीतिक परिपक्वता। रघुनाथराव की पेशवा बनने की स्वप्न-बेल अब पुष्पित हो फलित होने को थी। अगस्त 1773 में अंगरक्षकों ने ही महल के अंदर नारायणराव की हत्या कर दी, और अंततः महत्वाकांक्षी रघुनाथराव पेशवा की गद्दी पर बैठा गया। नाना फड़नवीस के लिए यह असहनीय था। उन्होंने सिंधिया, होल्कर, गायकवाड़, भोसले मराठा शक्ति का संघ बनाया और तुकोजीराव होल्कर, ददोजी सिंधिया, हरिपत फड़के, फलटकर, भगवान राव प्रतिनिधि, सखारामबापू बोकिल, त्रिम्बकराम पेटे, सरदारजी रस्ते, ब्राह्मी नायक, मोलेजी घोरपड़े और मोरोबा फड़नीस आदि मंत्रियों की बाराभाई परिषद की रचना की। परिषद के साथ मिलकर रघुनाथराव को पदच्युत कर नारायणराव को 40 दिन के शिशु सवाई माधवराव को पेशवा पद पर आसीन करा स्वयं मुख्यमंत्री बन मराठा राज्य संभाल लिया। पर रघुनाथराव भाग कर ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगने चला गया और सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कर कुछ महत्वपूर्ण मराठा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए, अंग्रेजों ने उसकी सैन्य मदद की। तभी इस संधि की काट के लिए कूटनीति से काम ले नाना फड़नवीस ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता परिषद के साथ पुरंदर की संधि कर ली, कंपनी रघुनाथ राव को पेशान देने पर सहमत हुई। आगे अंग्रेजों से खतरा भांपते हुए 1777 में फड़नवीस ने पश्चिमी तट पर फ्रांसीसी सेना को बंदरगाह प्रदान किया। फलतः अंग्रेजों से मराठों का युद्ध हुआ।



संजय राम थारुकर इन्दौर (मध्य प्रदेश)

**मुक्ति की प्रार्थना करें...!**

आओ करें सब 'मुक्ति की प्रार्थना', तेरह साल से हरीश की हैं 'वेदना'। उनकी साँसें अभी-भी रहीं धीं चल, कहीं खोई जिन्दगी कट रहे थे पल।

माँ रोज उसके माथे पे फेरती हाथ, आशा की चादर बिछा दे रहीं साथ। पिता की आँखों में हैं तूफानी लहर, ना जाने कितने बरपा के गए कहल।

क्या? यहीं बाकी जीवन का है अर्थ? जब हर साँस बन जाए बोझ अनर्थ। क्या? सिर्फ जीना ही यहाँ कर्तव्य है? हे ईश्वर, क्या? कोमा ही भवितव्य है।

न्यायालय की चौखट पे दर्द आवाज, इच्छा मृत्यु को यहाँ मिली हैं परवाज। करुणा दीप यूँ दर्द के सागर में जला, पीछा की लंबी कैद से आजाद चला। (संदर्भ - सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत)

**स्वभाव**

कुछ लोगों का स्वभाव आनुवंशिक रूप से संचालित होता है, कुछ लोगों के स्वभाव के लिए भरपूर जिम्मेदार होता है पद, वो अपनों से, साधियों से, छोटों, बड़े बुजुर्गों से भी, बहुत ऊंचा मान लेता है अपना कद, कभी कभी कुछ आभासी किरदार वाले मान लेते हैं अपने आप को बहुत बड़ा, वो मुगालते में तब तक रहेंगे जब तक फूट न जाए घमंड का घड़ा, इसान को इसान न मानने वाले लोगों, समान को समान न मानने वाले लोगों, जरा अपनी स्थिति देख कर अंदाजा लगाओ कि खड़े हो कीचड़ में या फिर पड़े हो गटर में।

**सूचना**

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा श्रेय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अभिकापुर न्यायालय के अधीन होगा। -सम्पादक

**एलपीजी की जगह चूल्हा एक सस्ता विकल्प**

12 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच फारस की खाड़ी में गंभीर तनाव और संघर्ष जारी है, जो 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ईरान द्वारा समर्थित गुटों ने अमेरिकी और खाड़ी देशों के तेल टैंकरों पर हमले किए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट खड़ा हो गया है। युद्ध की स्थिति का सीधा असर होतल मालिकों पर पड़ने वाला है। संभावना है कि कर्माशियल सिलेडर का स्टॉक खत्म होने पर होतल को जल्द ही बंद करना पड़ सकता है। कर्माशियल सिलेडर की कमी पूरे देश में एलपीजी का संकट है। एलपीजी सप्लाय में रुकावट का असर अब इंडिया इंक पर भी पड़ रहा है, कुछ कंपनियों ने कुकिंग गैस की कमी के कारण कैम्पेस्टोरिया और फूड सर्विस पर असर पड़ने की वजह से ऑपरेशनल दिक्कतों की रिपोर्ट दी है। साथ ही, मुंबई, बेंगलूरु और कोलकाता जैसे शहरों में कर्माशियल एलपीजी सप्लाय में रुकावट की खबरें आई हैं, रेस्टोरेंट और


खाने की जगहों को सिलेडर खरीदने में मुश्किल हो रही है और कुछ मामलों में मैन्यु कम कर दिए गए हैं या ऑपरेशन कम कर दिए गए हैं। कई राज्यों में पुलिस ने भी एलपीजी सप्लाय को लेकर अफवाहों के बीच मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, और गलत जानकारी, जमाखोरी और सिलेडर की चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि, सरकार का कहना है कि पूरे देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है और सप्लाय को स्थिर करने के लिए रिफाइन्री का आउटपुट लगभग 10% बढ़ा दिया गया है। एलपीजी सप्लाय, सरकार की प्रतिक्रिया और भारतीय शहरों की स्थिति पर लेटेस्ट अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग को फॉलो करें। एलपीजी सप्लाय की कमी से पूरे भारत में होतल, रेस्टोरेंट पर असर है युद्ध के इस दौर में, गोबर से बनी बायोगैस या गोबर के उपले एलपीजी का एक आत्मनिर्भर और किफायती विकल्प प्रदान करते हैं। चूल्हा एक ऐसा उपकरण है जो स्थानीय ताप या खाना पकाने के लिए उपकरण के अंदर या ऊपर ऊष्मा उत्पन्न करता है। चूल्हे कई प्रकार के ईंधनों से चल सकते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, बिजली, गैसोलीन, लकड़ी और कोयला। चूल्हे के निर्माण के लिए सबसे आम सामग्री कच्चा लोहा, इस्पात और पत्थर हैं। चूल्हे और गोबर के उपले भारतीय ग्रामीण जीवन, संस्कृति और परंपरा के अभिन्न अंग हैं। मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले न केवल सस्ते और आसानी से उपलब्ध ईंधन हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और पवित्रता का भाव भी रखते हैं। आत्मनिर्भरता, सादगी और पर्यावरण मित्रता के प्रतीक के रूप में ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव: पुराने धुआँ उत्पन्न करने वाले चूल्हे महिलाओं और बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए लोग अब धुआँ रहित चूल्हों की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता की कहानी: कई परिवार बायोगैस के माध्यम से आत्मनिर्भर हो

गए हैं, वे गोबर से 8-10 घंटे तक चूल्हे को जलाते हैं। चूल्हा और गोइटा का संबंध केवल भोजन पकाने से नहीं, बल्कि एक जीवनशैली से है जो हमें प्रकृति के करीब रखती है। यह हमारे पूर्वजों की विरासत और सादगी का प्रतीक है, जिसे आज भी ग्रामीण भारत में संजोकर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में आज भी लोग पुराने और परंपरिक ईंधनों का उपयोग न सिर्फ अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, बल्कि परंपराओं के अनुसार धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। होली के पर्व से पहले गांवों में घरों में पाले गए मवेशियों के गोबर से गोईटा बनाया जाता है, मान्यता है कि गोबर शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है, यही कारण है कि होली के दिनों में गोईटा की मांग बढ़ जाती है। कई लोग इसे बनाकर बेचते हैं, वहीं जिनके पास गोईटा उपलब्ध नहीं होता, वे गांवों से इसे लाकर होलीका दहन करते हैं।

# मुखबिरों के महारथी रंजीत गुप्ता: अवैध शराब पकड़ ली, पुलिस को पीछे छोड़ दिया... लेकिन अफीम और मिलावटी शराब पर मुखबिर क्यों खामोश?

## मुखबिरों के भरोसे कार्रवाई: अवैध शराब पकड़ी... पर अफीम के खेत कैसे छूट गए?

- आबकारी के छापे तेज, लेकिन मिलावटी शराब पर ब्रेक क्यों?
- सरगुजा में मुखबिर सक्रिय... मगर अफीम और मिलावट पर रहस्यमयी चुप्पी...
- जहां कार्रवाई वहां चर्चा... जहां मिलावट वहां खामोशी - किसकी नजर चूक रही है?
- अवैध शराब पर सख्ती, लेकिन अफीम और मिलावट पर नरमी? सवालों में घिरा सिस्टम



**—संवाददाता—**  
अम्बिकापुर, 12 मार्च 2026  
(घटती-घटना)।  
सरगुजा संभाग में इन दिनों आबकारी विभाग के सहायक आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता खूब चर्चा में हैं, वजह है उनकी लगातार कार्रवाई, अवैध शराब, नशीली दवाइयों और इंजेक्शनों के खिलाफ जिस तेजी से उन्होंने छापेमारी की है, उससे यह संदेश जरूर गया है कि कम से कम आबकारी विभाग का एक अधिकारी मैदान में सक्रिय दिखाई दे रहा है, कई मामलों में तो स्थिति इतनी दिलचस्प हो गई कि कार्रवाई पहले हो गई और बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई, इससे एक नई बहस शुरू हो गई - क्या सरगुजा संभाग में आबकारी विभाग के मुखबिर पुलिस से ज्यादा तेज हो गए?

**एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैला खेल**  
सरगुजा संभाग की भौगोलिक स्थिति भी इस पूरे मामले को दिलचस्प बनाती है। यह इलाका कई राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, ऐसे में नशीली दवाइयों और अवैध शराब का कारोबार अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैले नेटवर्क के जरिए चलता है, बताया जाता है कि कई मामलों में पकड़े गए इंजेक्शन और दवाइयों दूसरे राज्यों से यहां लाई जा रही थीं। इस पर रंजीत गुप्ता की टीम ने लगातार कार्रवाई की, इससे अवैध कारोबारियों में हलचल मची और आबकारी विभाग की सक्रियता की चर्चा भी तेज हो गई।

**संरक्षण की चर्चा भी शुरू**  
जब किसी मामले में शिकायतें लगातार हों और कार्रवाई कम दिखाई दे, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह शंका भी पैदा होती है कि कहीं न कहीं संरक्षण का खेल तो नहीं चल रहा, हालांकि यह केवल चर्चा का विषय है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शराब दुकानों का संचालन एक बड़ा आर्थिक तंत्र होता है। ऐसे में यदि वहां मिलावट की आशंका हो और उस पर कार्रवाई न दिखे, तो लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

**मुखबिरों का नेटवर्क या पुलिस की नींद?**  
सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि किसी भी जिले में सबसे मजबूत खुफिया तंत्र पुलिस का होता है, थानों से लेकर जिले तक पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं, जो छोटी से छोटी गतिविधियों की खबर पहुंचाते रहते हैं, लेकिन सरगुजा संभाग में हाल के दिनों में तस्वीर कुछ अलग दिखी, अवैध शराब, नशीली दवाइयों और इंजेक्शनों के मामलों में कई बार कार्रवाई आबकारी विभाग के जरिए सामने आई, जबकि पुलिस को इसकी

**लेकिन मुखबिर बलरामपुर में क्यों सो गए?**  
अब कहानी का दूसरा हिस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है, जिस अधिकारी के मुखबिर इतने तेज बताए जा रहे हैं कि अवैध शराब और नशीली दवाइयों की खबर तुरंत पहुंच जाती है, उसी अधिकारी के गृह जिले बलरामपुर में अफीम की खेती पकड़ी गई, अफीम की खेती कोई घर की खिड़की पर उगाने वाला पौधा नहीं है, यह खेतों में होती है, महीनों तक बढ़ती है और फिर उससे नशीला पदार्थ निकाला जाता है, ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है, अगर मुखबिर इतने मजबूत हैं तो अफीम की खेती की खबर उन तक क्यों नहीं पहुंची? क्या मुखबिरों की नजर अवैध शराब तक तो पहुंच रही थी, लेकिन अफीम के खेतों तक नहीं?

**सरगुजा में दो तस्वीरें**  
इस समय सरगुजा संभाग में दो तस्वीरें साथ-साथ दिखाई दे रही हैं एक तरफ अवैध शराब और नशीली दवाइयों पर तेज कार्रवाई, दूसरी तरफ अफीम की खेती और शराब दुकानों की मिलावट जैसे सवाल एक तरफ मुखबिरों की तेजी की चर्चा है, दूसरी तरफ कुछ मामलों में उनकी चुप्पी भी उतनी ही रहस्यमयी लार रही है, रंजीत गुप्ता की कार्रवाई ने यह जरूर दिखाया है कि यदि इच्छाशक्ति हो तो अवैध कारोबार पर बोट की जा सकती है। लेकिन इसके साथ यह सवाल भी उठना ही जरूरी है कि कानून की नजर हर जगह बराबर पहुंचे, क्योंकि आखिरकार जनता के मन में अब यही सवाल घूम रहा है क्या मुखबिर सिर्फ अवैध शराब तक ही खबर पहुंचाते हैं, या फिर अफीम के खेत और शराब दुकानों की मिलावट अभी भी उनकी नजर से दूर है?

## सहकारी बैंक में पैसे की कमी पर किसानों का प्रदर्शन, लखनपुर थाने का घेराव धान बोनस की राशि निकालने पहुंचे किसानों को नहीं मिला पैसा, अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत

**—संवाददाता—**  
अम्बिकापुर, 12 मार्च 2026  
(घटती-घटना)।  
प्रदेश सरकार द्वारा ल्योंहोस के महेनजर किसानों के खातों में धान खरीदी बोनस की राशि जमा किए जाने के बाद बैंकों में पैसे निकालने के लिए किसानों की लंबी कतार लम रही है। लेकिन स्ट्राफ की कमी और नकदी के अभाव के कारण किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। इससे नाराज किसानों ने गुरवार को लखनपुर में प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव कर दिया। मामला जिला सहकारी बैंक शाखा लखनपुर का है। बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से बैंक में पयांस नकदी नहीं होने के कारण किसानों को केवल 10 हजार रुपये तक ही भुगतान किया जा रहा था। कई किसानों को यह राशि भी नहीं मिल पाई और उन्हें बिना पैसे के ही लौटना पड़ा। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बैंक में नकदी खत्म होने और सीमित राशि देने की बात से नाराज किसानों का आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान बैंक से रैली के रूप में निकलकर लखनपुर थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर बैंक से राशि दिलाने की मांग की। सूचना मिलने पर तहसीलदार अकिता पटेल थाना प्रभारी के साथ सहकारी बैंक पहुंचीं और अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ।

**रिशवत लेकर अधिक भुगतान कराने का आरोप** : किसानों ने आरोप लगाया कि उनके खातों में 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि जमा है, लेकिन बैंक कर्मचारी नकदी नहीं होने की बात कहकर 20, 10, 5 या 2 हजार रुपये के निकासी फॉर्म भरवाते हैं। कई बार किसानों का नंबर आने तक पैसा खत्म हो जाता है और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग अंदर जाकर 500 रुपये देते हैं, उन्हें 49 हजार रुपये तक की निकासी करवा दी जाती है।  
**चक्का जाम की चेतावनी** : किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर धान बोनस की राशि निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और बैंक प्रबंधन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।

**—संवाददाता—**  
अम्बिकापुर, 12 मार्च 2026  
(घटती-घटना)।  
सरगुजा जिले में रसोई गैस को लेकर पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ती दिख रही है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग एक साथ प्रयास कर रहे हैं, जिससे गैस कंपनियों का सर्वर बार-बार डाउन हो रहा है। इसके चलते कई एजेंसियों में गैस की बुकिंग पची नहीं कट पा रही है और उपभोक्ताओं को गैस मिलने में देरी हो रही है। हालांकि प्रशासन और गैस एजेंसियों का कहना है कि जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार सामान्य दिनों में प्रतिदिन 300 से 400 तक बुकिंग दर्ज होती थी, लेकिन सर्वर समस्या के कारण पिछले तीन-चार दिनों से केवल 10 से 12 बुकिंग ही हो पा रही हैं। इसके कारण कई उपभोक्ता सीधे एजेंसियों का रुख कर रहे हैं, जिससे वहां भीड़ बढ़ने लगी है। इधर प्रशासन द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के वितरण पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी गई है। केवल अस्पतालों को ही रसोई गैस की आपूर्ति की अनुमति दी गई है। इसके चलते



कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।  
**अब 15 की जगह 25 दिन में मिलेगा सिलेंडर** : गैस एजेंसियों के अनुसार फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति जारी है, लेकिन वितरण अर्थात् 15 दिन से बढ़कर 25 दिन कर दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। एजेंसियों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्ववत् कर दी जाएगी।  
**जिले में 1.58 लाख से अधिक उपभोक्ता** : सरगुजा जिले में तीन प्रमुख गैस कंपनियों के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में 1 लाख 58 हजार 585 से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थी और सामान्य उपभोक्ता दोनों शामिल हैं। एचपी गैस एजेंसियों से करीब 1 लाख 377 उपभोक्ता जुड़े हैं, जिनमें 48 हजार 525 पीएमयूवाई तथा 51 हजार 852 सामान्य उपभोक्ता हैं। वहीं इंडेन गैस एजेंसियों के पास लगभग 73 हजार 106 उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें

54 हजार 421 पीएमयूवाई और 18 हजार 685 सामान्य उपभोक्ता शामिल हैं। भारत गैस एजेंसियों के साथ भी जिले में 39 हजार से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं।  
**उदयपुर क्षेत्र में 9 सिलेंडर जब्त** : इस बीच खाद्य विभाग ने अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण के खिलाफ कार्रवाई भी की है। गुरुवार को उदयपुर क्षेत्र में जांच के दौरान नमामाकला स्थित गोरख गैस चूल्हा रिपेरिंग से 3 तथा दर्रापारा स्थित प्रदीप गैस चूल्हा रिपेरिंग शांप से 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कुल 9 सिलेंडरों की जब्त कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी एजेंसियों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। साथ ही गैस की आपूर्ति और वितरण पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है तथा अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

## नमनाकला में 7.5 लाख लीटर क्षमता की नई पानी टंकी का भूमि पूजन

**—संवाददाता—**  
अम्बिकापुर, 12 मार्च 2026 (घटती-घटना)।  
नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 14 नमनाकला में 7.5 लाख लीटर क्षमता की उच्च स्तरीय जलागार पानी टंकी के निर्माण कार्य का गुरुवार को भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के सभापति हरभद्र सिंह टिन्नी और एमआइसी सदस्यों ने विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। इस जलागार के निर्माण के लिए अंशोसंरचना मद से 92.74 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं टंकी में पानी भरने के लिए रजिंडेन मेन पाइपलाइन विस्तार कार्य हेतु मुख्यमंत्री नरोत्तयान योजना के तहत 41.23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्य का कार्यदेश भी जारी किया जा चुका है। जलागार निर्माण पूरा होने के बाद वार्ड क्रमांक 12, 13, 14 और 47 के निवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन वार्डों में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी रहती थी। नई टंकी बनने से क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार नियमित जलापूर्ति हो सकेगी। वार्ड 14 की पार्श्व एवं एमआइसी सदस्य अनीता रविंद्र गुप्ता भारती ने बताया कि क्षेत्र में छोटी टंकी होने के कारण पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती थी, खासकर गर्मियों में लोगों को परेशानी होती थी। बढ़ती आबादी और वार्ड के विस्तार को देखते हुए उच्च क्षमता की टंकी की आवश्यकता थी। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव द्वारा राशि स्वीकृत किए जाने से अब इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में एमआइसी सदस्य ममता तिवारी, स्वेंता गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, पार्श्व मनोज गुप्ता, किरण दीपक सिंह तोमर, अनिल तिवारी, आकाश गुप्ता, संतोष दास, अभिषेक शर्मा, अवैश सोनकर, विकास गुप्ता, जल विभाग के प्रभारी प्रशांत खल्लर, अभियंता सतीश रवि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, ठेकेदार और बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे।

## कुसमी में 3.67 एकड़ में अफीम की अवैध खेती का पर्दाफाश

**प्रशासन व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 4.75 करोड़ की अफीम जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार**  
**—संवाददाता—**  
अम्बिकापुर, 12 मार्च 2026 (घटती-घटना)।  
कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत त्रिपुरी के घोसराडांड में बड़े पैमाने पर की जा रही अफीम की अवैध खेती का पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 3.67 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को उखाड़कर जब्त किया गया। जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। मामले में जमीन मालिकों समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 10 मार्च को कुसमी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि त्रिपुरी क्षेत्र में कुछ लोग चोरी-छिपे अफीम की खेती कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीओपी आशीष कुंजाम, थाना प्रभारी विरासत कुंजूर, एसएफएल टीम और प्रशासनिक अधिकारियों

## अफवाहों से बढ़ी गैस की मांग, सर्वर पर दबाव, प्रशासन ने कहा-पर्याप्त है स्टॉक व्यावसायिक सिलेंडर पर अस्थायी रोक से होटल-ढाबा संचालक परेशान, उदयपुर क्षेत्र में 9 अवैध घरेलू सिलेंडर जब्त

की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान खेत में अफीम के पौधे लगे मिले और कुछ लोग वहां फसल की रखवाली करते पाए गए। टीम ने मौके से दो डिब्बों में भरा अफीम का लासा (गोंद) और चार बड़े व एक छोटे बोरे में रखे सूखे फल भी बरामद किए।  
**43 किंवदंत से अधिक फसल जब्त** : संयुक्त टीम ने खेत में लगे अफीम के पौधों को जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सहित उखाड़कर तौल किया। कुल वजन 4,344.569 किलोग्राम यानी 43 किंवदंत से अधिक पाया

गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 18 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही इस अवैध कारोबार के वित्तीय लिंक और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।  
**ये आरोपी हुए गिरफ्तार** : गिरफ्तार आरोपियों में बलरामपुर जिले के ग्राम त्रिपुरी सरनाटोली निवासी रूपदेव राम भगत (50), ग्राम माचाडीपा त्रिपुरी निवासी कौशिल भगत (30), बिहार के गया जिले के सोमया बाराचट्टी निवासी मनोज कुमार (24) और

उपेन्द्र कुमार (27) शामिल हैं। इसके अलावा जशपुर जिले के आस्ता थाना क्षेत्र के भगचंद निवासी जिरमल मुण्डा (56), झारखंड के कोलवा जोरी निवासी विन्देश्वर (45) तथा जशपुर जिले के कुंगुम निवासी कृष्णा सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।  
**अवैध खेती पर सख्ती जारी**  
कलेक्टर राजेन्द्र कटार ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजस्व, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पूरे जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी अफीम या अन्य मादक पदार्थों की खेती की जानकारी मिले तो तत्काल प्रशासन या पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले को पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।  
**अब 15 की जगह 25 दिन में मिलेगा सिलेंडर** : गैस एजेंसियों के अनुसार फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति जारी है, लेकिन वितरण अर्थात् 15 दिन से बढ़कर 25 दिन कर दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। एजेंसियों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्ववत् कर दी जाएगी।  
**जिले में 1.58 लाख से अधिक उपभोक्ता** : सरगुजा जिले में तीन प्रमुख गैस कंपनियों के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में 1 लाख 58 हजार 585 से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थी और सामान्य उपभोक्ता दोनों शामिल हैं। एचपी गैस एजेंसियों से करीब 1 लाख 377 उपभोक्ता जुड़े हैं, जिनमें 48 हजार 525 पीएमयूवाई तथा 51 हजार 852 सामान्य उपभोक्ता हैं। वहीं इंडेन गैस एजेंसियों के पास लगभग 73 हजार 106 उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें

# फिटनेस फेल बस में मासूमों का सफर! SECL में बच्चों की सुरक्षा से खेल कौन खेल रहा है?

2025 से फेल कागज,फिर भी सड़क पर दौड़ रही स्कूल बस! बच्चों की जान पर किसका भरोसा?

- नियम फेल,सिस्टम पास। एसईसीएल क्षेत्र में बिना फिटनेस बस से बच्चों की रोजाना यात्रा
- फिटनेस फेल बस में भविष्य का सफर! जिम्मेदारों की चुप्पी पर ठे बड़े सवाल
- स्कूल बस या चलता खतरा? एसईसीएल क्षेत्र में फेल दस्तावेज वाली बस से बच्चों का सफर
- 2025 से फिटनेस,टैक्स और पीयूसी फेल बताई जा रही बस से स्कूल आना-जाना,बच्चों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा



Vehicle Number	CG15B7244
Owner Name	एनएसएसएस
Registering Authority	Ambedkar RTD, Chhatnagar
Vehicle Class	Bus(MPV)
Fuel Type	DESEL
Emission Norm	BHARAT STAGE VI
Vehicle Age	2 Years & 3 months
Hypothecated	Yes
Vehicle Status	ACTIVE
Tap to Check the impound/insurance document status	
Registration Date	22-Nov-2023
Fitness Valid UpTo	21-Nov-2025
Tax Valid UpTo	31-Oct-2025
Insurance Valid UpTo	05-Nov-2026
PUC Valid UpTo	21-Nov-2024

## जांच और कार्रवाई की मांग...

मामले की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने संबंधित विभागों से तत्काल जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है, उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती, अभिभावकों की मांग है कि संबंधित बस के दस्तावेजों की तत्काल जांच की जाए, यदि दस्तावेज फेल पाए जाते हैं तो बस का संचालन तुरंत रोकना जाए, बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

## अब निगाहें कार्रवाई पर...

यह मामला सामने आने के बाद अब निगाहें एसईसीएल प्रबंधन और परिवहन विभाग की कार्रवाई पर टिक गई हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल नियमों की अनदेखी का मामला होगा बल्कि बच्चों की सुरक्षा को जोखिम में डालने की गंभीर लापरवाही भी माना जाएगा, अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्या जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा — यह आने वाला समय ही बताएगा।

हो, कुछ अभिभावकों का कहना है कि यदि वाहन की फिटनेस ही फेल है तो यह किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है, ऐसे में बच्चों को ऐसे वाहन से स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है।

## यदि दुर्घटना हुई तो कौन होगा जिम्मेदार?

इस मामले का सबसे गंभीर सवाल यही है कि यदि बस से कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या जिम्मेदार होगा, एसईसीएल प्रबंधन, जिसने बस को ठेके पर लगाया है? वाहन मालिक, जो कथित रूप से बिना वैध दस्तावेज के बस चला रहा है? या फिर परिवहन विभाग, जिसकी जिम्मेदारी ऐसे वाहनों की जांच और निगरानी की होती है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान मासूम बच्चों की सुरक्षा को होगा।

## नियमों तंत्र पर भी उठे सवाल

इस मामले ने स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी वाहन के दस्तावेज लंबे समय से फेल हैं और फिर भी वह रोज बच्चों को लेकर सड़कों पर दौड़ रहा है, तो यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि जांच और निरीक्षण की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है, स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में चलने वाले वाहनों की समय-समय पर जांच होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थितियां पैदा ही न हों।

न्यायालय नजूल सूरजपुर  
जिला सूरजपुर, 83080

राजपूराको

ईशतदार

आगामी तिथि 13/3/2026

इस सार्वजनिक ईशतदार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकगण रामखेलावन आओ स्व. सुखदेव उम 70 वर्ष व अन्य 36 सभी निवासी साहलाली सूरजपुर, थाना व तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर 83080 द्वारा नजूल भूमि पर नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदकगण के पितामह/परिपितामह सुमेर साहू की स्व अर्जित भूमि नजूल प्लॉट नम्बर 2093 क्षेत्रफल 0.24 अर/961 वर्गमीटर एवं प्लॉट नम्बर 2094 रकबा 0.06 अर/283 वर्ग मीटर बाजारपारा स्तर क्रमांक 06 में स्थित है। आवेदकगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं, जिनका वषष्ठ उद्देश्य करते हुए आवेदकगण का नाम नजूल अभिलेख में नामांतरित करने का अनुरोध किया गया है। जो इस न्यायालय में विचारार्थ लंबित है। अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा / आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लौगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 13/3/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त तिथि के च्चद प्राप्त दावा / आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 26/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की परमसुद से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी  
सूरजपुर

—राजेन्द्र शर्मा—  
खड़गावा/चिरमिरी, 12 मार्च 2026  
(घटती-घटना)।

चिरमिरी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कोयला कंपनी एसईसीएल में कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए संचालित एक बस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बस क्रमांक सीजी 15 ईबी 7244 से प्रतिदिन बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि इस बस का फिटनेस, टैक्स और पीयूसी वर्ष 2025 से ही फेल बताया जा रहा है, यदि यह जानकारी सही है तो यह मामला केवल एक वाहन के दस्तावेजों का नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है, एसईसीएल जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में यदि ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं तो यह मामला केवल एक वाहन के दस्तावेजों का नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है, एसईसीएल जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में यदि ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं तो यह मामला केवल एक वाहन के दस्तावेजों का नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है।

ठेके की बस, लेकिन जिम्मेदारी किसकी?— बताया जा रहा है कि यह बस

एसईसीएल क्षेत्र में कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए ठेके पर संचालित की जा रही है। हर सुबह और दोपहर इसी बस के माध्यम से कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल ले जाया और वापस लाया जाता है, ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि यदि वाहन के जरूरी दस्तावेज लंबे समय से फेल हैं, तो क्या इसकी जानकारी टेकेदार, वाहन मालिक या एसईसीएल प्रबंधन को नहीं है? या फिर जानकारी होने के बावजूद भी अनदेखी कर बस को सड़कों पर दौड़ने दिया जा रहा है? मुखवियों के अनुसार दस्तावेजों की स्थिति सदिग्ध होने के बावजूद बस का संचालन लगातार जारी है। इससे अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल बन गया है।

स्कूल बसों के लिए तय हैं सख्त नियम : स्कूल बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने कई सख्त नियम निर्धारित किए हैं, इन नियमों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सामान्यतः किसी भी स्कूल बस के लिए

निम्न दस्तावेजों का वैध होना अनिवार्य होता है वाहन का वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, मीटर वाहन टैक्स का भुगतान, बीमा, पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाण पत्र, इसके अलावा स्कूल बसों में कई सुरक्षा मानक भी अनिवार्य किए गए हैं, जैसे बस पर स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा होना, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी एग्जिट, प्रशिक्षित चालक, बच्चों की निगरानी के लिए सहायक यदि इन नियमों की अनदेखी कर कोई वाहन बच्चों को ले रहा है तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सीधे-सीधे बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना जा सकता है।

अभिभावकों में बढ़ी चिंता : एसईसीएल कॉलोनी और आसपास रहने वाले कई अभिभावकों का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है, उनका कहना है कि जब बच्चे रोज इसी बस से स्कूल जाते हैं तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वाहन पूरी तरह सुरक्षित और वैध दस्तावेजों से लैस

# नशे और अफीम के मुद्दे पर भाजपा जिला कार्यालय का घेराव, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और अवैध अफीम खेती को लेकर कांग्रेस का आरोप-सरकार पर राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप



—संवाददाता—  
मनेंद्रगढ़/एमसीबी, 12 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में बढ़ते नशे के कारोबार और हाल ही में सामने आए अफीम की अवैध खेती के मामले को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला इकाई के नेतृत्व में मनेंद्रगढ़ चैनपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय का घेराव कर विरोध दर्ज कराया, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राज्य में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जबकि सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही है।

नशे और अफीम की अवैध खेती को लेकर सरकार पर निशाना— कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती के मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, उनका आरोप था कि इन मामलों में कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने के बावजूद भी सरकार सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाव का प्रयास कर रही है, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसजनों का कहना था कि यदि समय रहते इन मामलों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश में नशे का जाल और तेजी से फैल सकता है, जिसका सबसे अधिक असर युवाओं और समाज पर पड़ेगा।

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल—जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, उन्होंने आरोप लगाया कि नशे का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, उन्होंने कहा कि अफीम की

खेती जैसे गंभीर मामलों के सामने आने के बाद भी यदि दौधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो यह सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।

राजनीतिक संरक्षण का आरोप—भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार और अवैध गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में सख्त कार्रवाई करने के बजाय सरकार कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहेगी और जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

युवाओं के भविष्य को लेकर जताई चिंता—एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पाण्डेय ने कहा कि नशे का बढ़ता जाल प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर समस्या को लेकर उदासीन रहेया अपना रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन करती रहेगी।

समाज में असुरक्षा का माहौल—पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि प्रदेश में अपराध और नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बन गया है, उन्होंने कहा कि सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाने चाहिए।

अफीम खेती के मामले को बताया शर्मनाक—ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि हाल ही में सामने आए अफीम की अवैध खेती के मामले ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है, उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दौधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कुछ लोग उन्हें बचाने के

प्रयास करते नजर आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुःखपूर्ण है।

## संघर्ष जारी रखने का संकल्प

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ ग्रामीण अध्यक्ष रामनरेश पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों और प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चिरमिरी शिवांश जैन और खड़गावा युधिष्ठिर कमरो ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को चिंताजनक बताते हुए कहा कि जनता अब सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी।

## बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, पूर्व नया उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, जिला महामंत्री शरण सिंह, एमपीक मेमन, पुनम सिंह, बलबीर सिंह, व्यंकटेश सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष रामनरेश पटेल, शिवांश जैन, सौरभ मिश्रा, युधिष्ठिर कमरो, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूमा चटर्जी, ग्रामीण महिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला चतुर्वेदी, नीलिमा शामल, सरोज चौधरी, राधा दीवान, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष कासिम अंसारी, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमोल सिंह मरावी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, प्रदर्शन के अंत में कांग्रेसजनों ने प्रदेश में नशे के कारोबार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) जिला- सरगुजा (छ.रा.)

ईशतदार

एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं ग्राम पहाडकोरजा तहसील उदयपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक कलेश राम आओस्व0 नईहसाय उम 46 वर्ष एवं फूलकंवर बेवा स्व0 नईहसाय दोनो जाति महवार निवासी ग्राम पहाडकोरजा तहसील उदयपुर जिला सरगुजा के स्वामित्व की भूमि ग्राम पहाडकोरजा प0ह0न0 24, रा0नि0म0 केदमा, तहसील उदयपुर में कुल खसरा क्रमांक 10 कुल रकबा 3.371 हेक्टेयर स्थित है। आवेदकगण के द्वारा अपने ईलाज कराने एवं अपने पुराने कच्चे खण्डपोशा मकान जर्जर हो जाने से सर्वनिर्माण एवं भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो, इस कारण आवेदकगण अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 71 रकबा 0.599 हेक्टेयर में से रकबा 0.402 हेक्टेयर भूमि अनावेदक के पास 3000000 रूपयें (तीन लाख रूपयें) में विक्रय करने का सोदा तय कर अनावेदक सुभाष सिंह आओस्व0 शिवप्रसाद सिंह उम 51 वर्ष जाति कंवर निवासी ग्राम देवटिकरा तहसील उदयपुर से 100000 रूपयें (एक लाख) रूपयें प्राप्त कर लिया है तथा शेष राशि भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात रजिस्ट्री के समय आवेदक प्राप्त करेगे। आवेदकगण के भूमि खसरा क्रमांक 71 रकबा 0.599 हेक्टेयर में से रकबा 0.402 हेक्टेयर भूमि अनावेदक के पास विक्रय करने के पश्चात भी आवेदकगण के जीवन यानन के लिए रकबा 2.969 हेक्टेयर भूमि शेष होगे। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को अनावेदक के पास भूमि विक्रय कि प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आगामी 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है निवृत्त तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर, जिला-सरगुजा, छ0ग0

जिले के 71 केन्द्रों में हयार सेकेंडरी की विभिन्न विषयों की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 12 मार्च 2026  
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हयार सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2026 अंतर्गत 12 मार्च को सरगुजा जिले के 71 परीक्षा केन्द्रों में इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान के तत्त्व एवं गणित, ड्राइंग एंड पेंटिंग तथा आहार पोषण विषयों की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा की पारदर्शिता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा गठित उडनदस्ता दल ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

निविदा आमंत्रण तिथि - 09.03.2025

ई-प्रोक्वोरमेंट निविदा सूचना

- निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें  
http://eproc.cgstate.gov.in
- संबंधित संग्राम- स.क्र. 1 रामानुजगंज एवं स.क्र. 2 पथलगांव संग्राम
- स.क्र. 1 एवं 2 'द' वर्ग एवं ऊपर टेकेदार
- ऑनलाईन निविदा खलने की अंतिम तिथि - 30.03.2026

स0 क्र0	एन.आई.टी. क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	236	जिला बलरामपुर रामानुजगंज अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर में पार्किंग स्टेण्ड का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)	18.50
2	237	जिला - जशपुर के पथलगांव में रैस्ट हाउस का उन्नयन कार्य (प्रथम आमंत्रण)	74.68

अधीक्षण अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर  
जी नंबर-252607108/3

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर, जिला-सरगुजा, छ0ग0

# ब्रह्माकुमारी संस्था में पुण्य स्मृति दिवस कार्यक्रम

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 12 मार्च 2026  
(घटती-घटना)।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय अम्बिकापुर में 12 मार्च गुरुवार को दादी गुलजार जी जिनका जन्म 1 जुलाई, 1929 के दिन सिंधु प्रांत में हुआ बचपन का नाम शोभा था वे ब्रह्माकुमारी संस्था की एक प्रमुख आध्यात्मिक स्तंभ थी उनका पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। सरगुजा संभाग की ब्रह्माकुमारी संचालिका बीके विद्या दीदी, ब्रह्माकुमारी बहामें एवं ब्रह्माकुमार भाइयों के द्वारा उनके छयाविचत्र पर मात्स्यार्पण अर्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया बीके विद्या दीदी ने दादी जी को भोग स्वीकार कराया एवं सभी को उनका जीवन संस्मरण सुनाया।



9 साल की उम्र में ब्रह्मा बाबा की सानिध्य में योग मार्ग चुना। पवित्रता और निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति दादी जी ने 1969 से 2014 तक अव्यक्त बापदादा की मुरली सुनाने में विशेष रथ के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राजयोग, आध्यात्मिकता और आत्म परिवर्तन पर शिक्षा दी। उन्होंने अपना पुराना शरीर 11 मार्च 2021 को त्याग दिया।

कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज एवं पदेन उप सचिव

छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्ररूप- 11 नियम 5(0) देखें

—प्रारंभिक अधिसूचना—

क्रमांक /9994/अ-82/2023

बलरामपुर, दिनांक 30/12/2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि को अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम नंबर 6 में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

—अनुसूची—

जिला	तहसील	भूमि का प्रकार		प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
		ग्राम व प0ह0न0	खसरा नंबर क्षेत्रफल हेक्टे. में			
1	2	3	4	5	6	
बलरामपुर-रामानुजगंज	वाडूफनगर	रखेता पह0न0- 15	1076/1	0.0488	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उप संभाग वाडूफनगर	वायंपास सड़क योजना अंतर्गत ग्राम रखेता
			1085/1	0.0980		
			1085/2	0.0176		
			1089/3	0.0100		
			1089/4	0.0240		
			1292	0.0444		
			1299	0.0588		
			1294/1	0.0772		
			1302	0.0100		
			1076/2	0.0580		
1076/3	0.0540					
1076/4	0.0240					
1086	0.0280					
1298/1	0.0188					
1300/2	0.0400					
1303/1	0.0764					
योग -	17	0.7056		योग -		

- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी शिष्टबद्ध व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्माण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा आपत्ति लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) वाडूफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए किये गये सामाजिक समाधान अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधान की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा0) वाडूफनगर को पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से या आदेशानुसार  
(श्री राजेन्द्र कुमार कटारा) कलेक्टर  
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज एवं पदेन उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
जी नंबर-252607099/1

# क्या धान माफिया के पास इतनी ताकत कि हर जांच को खरीद ले ? भैयाथान के शिवप्रसादनगर केंद्र की कहानी



धान कम हुआ, जांच हुई....

फिर सब ठीक हो गया!

आखिर किसके  
'जादुई पैसों' से?

धान कम, जांच ज्यादा...लेकिन कार्रवाई गायब !  
शिवप्रसादनगर में किसका है 'जादुई संरक्षण' ?

धान खरीदी में करोड़ों का खेल ? कमी पकड़ी  
गई, लेकिन कार्रवाई रास्ते में ही 'गायब'

धान माफिया का दबदबा या सिस्टम की  
मजबूरी? जांच हुई, मगर नतीजा शून्य

शिवप्रसादनगर धान केंद्र का रहस्य: धान  
गायब, कार्रवाई भी गायब !

धान घोटेला, जमीन सौदा और राइस मिल की  
तैयारी—भैयाथान में किसका खेल ?

'सब बिकता है' की चर्चा क्या पैसों के दम  
पर दब गई धान घोटेले की जांच ?

धान घोटेले से राइस मिल तक: शिवप्रसादनगर  
में बन रहा नया 'माफिया मॉडल' ?

धान की कमी, 7 एकड़ जमीन और राइस  
मिल—भैयाथान में सवाल ही सवाल

जांच बाउंड्री तक पहुंची....फिर लौट आई !  
शिवप्रसादनगर का रहस्यमय धान मामला

धान घोटेले पर सन्नाटा: क्या राजनीति और  
पैसों के बीच दब गई कार्रवाई ?

—ओंकार पाण्डेय—

सूरजपुर, 12 मार्च 2026 (घटती-घटना)।  
कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या पैसा इतना ताकतवर भी हो सकता है कि वह हर जांच को प्रभावित कर दे, हर कार्रवाई को रास्ते में रोक दे और भ्रष्टाचार के आरोपों पर पर्दा डाल दे? सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक के शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र को लेकर इन दिनों यही सवाल लोगों की जुबान पर है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां एक ऐसा कथित धान माफिया सक्रिय है जिसकी पकड़ इतनी मजबूत बताई जाती है कि जांच कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आखिर में सब 'संतुलित' हो जाता है। भैयाथान के शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का यह मामला केवल धान की कमी का नहीं है, बल्कि यह सवाल उठता है कि क्या व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि पैसा और प्रभाव हर जांच को प्रभावित कर सकता है, यदि इन सवालों का जवाब समय रहते नहीं मिला, तो लोगों का भरोसा व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है।

### जांच की मांग...

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं, लोगों का मानना है कि धान खरीदी व्यवस्था किसातों की मेहनत और सरकारी व्यवस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए इसमें पारदर्शिता बेहद जरूरी है।

### क्षेत्र के चर्चित 'बाबा' का मेला सहयोग ? राजनीतिक संरक्षण के आरोप...

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र से जुड़े पूरे प्रकरण में अब एक और नया नाम चर्चा में आ गया है, क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भैयाथान ब्लॉक के एक चर्चित बाबा, जिन्हें लोग लंबे समय से स्थानीय राजनीति और सामाजिक आयोजनों से जुड़े चेहरे के रूप में जानते हैं, इस पूरे मामले में कथित माफिया को बचाने की भूमिका निभा रहे हैं, विशेष सूत्रों का दावा है कि यह बाबा कांग्रेस से जुड़े एक सक्रिय नेता भी बताए जाते हैं और वर्तमान में प्रकाश कोयला खदान क्षेत्र में भी उनकी भूमिका चर्चा में रहती है, अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस धान खरीदी घोटेले के कथित माफिया को बचाने में उनकी दिलचस्पी क्यों दिखाई दे रही है? सूत्रों के मुताबिक इस बाबा की पहुंच प्रशासनिक हलकों तक भी बताई जा रही है, यहां तक दावा किया जा रहा है कि कलेक्टर कार्यालय तक उनका प्रभाव है और उसी के चलते इस पूरे मामले में कार्रवाई की गति धीमी पड़ जाती है, हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में यह चर्चा जरूर है कि जब भी मामला गर्म होता है, कहीं न कहीं से संरक्षण की छाया आ जाती है, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बाबा वास्तव में इस कथित माफिया को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, या फिर यह सिर्फ क्षेत्रीय चर्चाओं का हिस्सा है, आने वाला समय ही बताएगा कि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह बाबा अपने राजनीतिक भविष्य को दब पर लगाकर किसी धान माफिया के साथ खड़े हैं, या फिर मामला कुछ और ही है।

### माफिया का तैयार होता राइस मिल : विवादित जमीन पर तेजी से निर्माण की तैयारी

इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, बताया जा रहा है कि कथित माफिया अब एक राइस मिल स्थापित करने की तैयारी में जुटा हुआ है, सूत्रों के अनुसार जिस जमीन को लेकर पहले से विवाद और सवाल उठ रहे हैं, उसी जमीन पर तेजी से मिट्टी पटाई का काम कराया जा रहा है और वहां राइस मिल बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर यह राइस मिल बनने की तैयारी है, वह जमीन कथित माफिया, धान खरीदी केंद्र की प्रभारी साधना कुशवाहा और उनके सहयोगी रिजवान के नाम बताई जा रही है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी तेजी से यह तैयारी कैसे हो रही है और प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ रही, ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन उस व्यक्ति से जुड़ी बताई जा रही है जिस पर लोगों को उठाने के गंभीर आरोप हैं और जो इस समय जेल में भी बताया जा रहा है, ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर यह जमीन खरीदी गई है या किसी और तरीके से अपने नाम कराई गई है, सूत्रों का यह भी दावा है कि इस राइस मिल परियोजना में सूरजपुर के एक बड़े व्यापारी का पैसा लगने की चर्चा है, बताया जा रहा है कि निवेश व्यापारी करेगा और जमीन माफिया के पास रहेगी, यदि यह सच है तो यह पूरा मामला केवल धान खरीदी घोटेले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक नेटवर्क की तरफ भी इशारा कर सकता है, अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करेगा या फिर यह राइस मिल भी उसी रहस्यमय संरक्षण की छाया में खड़ा हो जाएगा।

## 13 हजार विवंटल की कमी के बाद 35 हजार विवंटल की तेजी, संयोग या संकेत?

13 दिनों में 35 हजार विवंटल की खरीदी-कृषि उपलब्धि या 'शरत्कार एक्सप्रेस' की रफ्तार ?

धान खेतों में नहीं, फाड़लों में उठा शिवप्रसादनगर का चौकाने वाला सच

पहले भी सामने आ चुकी हैं भारी कमी

नियमों के विपरित घटना में भ्रम

### धान की कमी और कार्रवाई का 'रहस्यमय अंत'

बताया जा रहा है कि इस वर्ष शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में भारी मात्रा में धान की कमी पाई गई, भौतिक सत्यापन हुआ, रिपोर्ट बनी, और कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हुई, धान खरीदी केंद्र की प्रभारी साधना कुशवाहा को पद से पृथक भी किया गया, यह देखकर लोगों को लगा कि इस बार शायद कार्रवाई सच में आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद जैसे कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई, फिर से जांच हुई... और मामला वहीं आकर रुक गया जहां से शुरू हुआ था, यानी कि सब कुछ फिर संतुलित हो गया। ग्रामीणों के बीच इस स्थिति को लेकर व्यंग्य में कहा जा रहा है कि कार्रवाई बाउंड्री लाइन तक पहुंची, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे वापस लौटा दिया।

### कार्रवाई बाउंड्री तक गई....फिर वापस आ गई...

स्थानीय लोग इस पूरे घटनाक्रम को बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में बताते हैं, उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई ठीक वैसे ही हुई जैसे क्रिकेट में गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंचकर अचानक रुक जाए, जांच आगे बढ़ती दिखी, कार्रवाई की आहट भी आई, लेकिन फिर मामला वहीं थम गया, लोगों के बीच चर्चा है कि जैसे ही कार्रवाई बाउंड्री के करीब पहुंचती है, कोई अदृश्य ताकत उसे वापस मोड़ देती है।

### 'सब बिकता है' वाली चर्चा

क्षेत्र में चर्चा है कि कथित माफिया खुलेआम यह कहता है कि दुनिया में सब बिकता है, बस खरीदने वाला होना चाहिए, हालांकि इस कथन की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से हर जांच के बाद मामला शांत हो जाता है, उससे ऐसी चर्चाओं को और बल मिलता है।

### 8-9 केंद्रों में धान की कमी, पर कार्रवाई गायब

बताया जा रहा है कि इस साल सूरजपुर जिले के 8 से 9 धान खरीदी केंद्रों में भौतिक सत्यापन के दौरान धान की कमी पाई गई, शुरुआत में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे मामला शांत होता चला गया, अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि इतनी बड़ी कमी पाई गई थी तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

### राजनीतिक संरक्षण की चर्चा

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कथित धान माफिया को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से संरक्षण प्राप्त है, यही कारण है कि जब भी मामला सामने आता है, वह किसी न किसी तरह बच निकलता है, ग्रामीणों का कहना है कि यह संरक्षण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

### जमीन खरीद का नया विवाद

इस पूरे मामले में एक और तथ्य सामने आया है जिसने लोगों को चौंका दिया है, बताया जा रहा है कि धान खरीदी केंद्र से जुड़े लोगों ने कथित माफिया के साथ मिलकर करीब 7 एकड़ जमीन खरीदी है, अब सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी जमीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया।

### जेल में बंद व्यक्ति की जमीन का सौदा ?

ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन ऐसे व्यक्ति की बताई जा रही है जो इस समय जेल में बंद है और जिस पर धोखाधड़ी के आरोप हैं, इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस जमीन पर बैंक का कर्ज भी था, अब सवाल यह उठता है कि यदि जमीन बैंक में गिरवी थी तो उसकी बिक्री कैसे हो गई।

### राजस्व विभाग पर भी उठे सवाल

इस पूरे मामले में राजस्व विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यदि जमीन बंधक थी तो उसका पंजीयन कैसे हो गया, लोग पूछ रहे हैं कि कहीं यहाँ भी पैसों की ताकत तो काम नहीं आई।

### भ्रष्टाचार या 'प्रबंधन कौशल' ?

क्षेत्र में लोग व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि प्रबंधन का उस्ताद है, क्योंकि जिस तरह से हर जांच के बाद मामला शांत हो जाता है, उसे देखकर लोग हैरान हैं।

## शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटेला?

कामगारों ने 65 हजार विवंटल खरीदी, जमीनी हकीकत से फल तय... जांच से क्यों बच रहा के.क.

## शोहराब-साधना-हदीस की रिकड़ी से पनपता धान घोटेला

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र बना संगठित नूट का अड्डा...

## जांच हुई, घोटेला पकड़ा गया...फिर चुपकी क्यों?

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र से 13 हजार बोरी की कमी, प्रशासन ने तन

## जेल में ठग का पिता भूमिविहीन, बाहर बेटा फेरारी में

7.7 एकड़ जमीन हदीस-रिजवान-साधना के नाम कैसे हुई?

जवाब मांगते सवाल...इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं...

धान खरीदी केंद्र में पाई गई कमी का अंतिम निकर्ष क्या है ?  
कथित माफिया की आर्थिक ताकत का स्रोत क्या है ?  
7 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया ?  
बैंक में गिरवी जमीन का सौदा कैसे हो गया ?  
यदि अनियमितता हुई थी तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ?

# भांडी का 'कर्मा चौक' या फाइलों का चक्रव्यूह ?



## अतिक्रमण की कहानी कैसे बनी 'अनापत्ति' की सरकारी गाथा ?



**नहर में अतिक्रमण से 'नो ऑब्जेक्शन' तक : भांडी के कर्मा चौक ने खोल दी फाइलों की पोल पहले अतिक्रमण, फिर अनापत्ति : भांडी के कर्मा चौक पर सरकारी फाइलों का यू-टर्न नहर वही, चौक वही... बस बदल गई रिपोर्ट... भांडी में फाइलों का खेल ? कागज़ों में खिसकी नहर की सीमा। भांडी के कर्मा चौक पर प्रशासनिक सवाल अतिक्रमण से वैध निर्माण तक: किसके इशारे पर बदली सरकारी राय ?**

**नहर की जमीन पर निर्माण बताने वाले दस्तावेज़, फिर अचानक बदल गई सरकारी राय... आखिर किसके इशारे पर पलटी फाइलों की भाषा ?**

**विकास बनाना नियम**  
भांडी के कर्मा चौक का मामला सिर्फ अतिक्रमण का विवाद नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी बहस का हिस्सा भी है जिसमें अक्सर धार्मिक स्थल, विकास कार्य और सरकारी नियम आपस में टकराते दिखाई देते हैं, कई बार स्थानीय स्तर पर विकास या धार्मिक आस्था के नाम पर निर्माण हो जाते हैं, और बाद में प्रशासन को नियमों और सामाजिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, भांडी का यह मामला भी शायद उसी जटिल संतुलन की कहानी है।

**कोरिया, 12 मार्च 2026 (घटती-घटना)।**  
कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के छोटे से गांव भांडी में बना भक्त

माता कर्मा चौक इन दिनों सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह सरकारी फाइलों के ऐसे चक्रव्यूह का प्रतीक बन गया है, जिसमें सच, नियम और निर्णय तीनों अलग-अलग दिशाओं में चलते दिखाई देते हैं। इस पूरे मामले की कहानी अगर शुरू से अंत तक पढ़ी जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी प्रशासनिक

**मामला आखिर है क्या**  
भांडी गांव में खसरा नंबर 101/15 (0.332 हेक्टेयर) की भूमि पर भक्त माता कर्मा चौक का निर्माण किया गया, इस चौक के बीच में माता कर्मा की मूर्ति स्थापित की गई और चारों ओर लगभग 7 फीट ऊंची दीवार बनाकर चबूतरा तैयार किया गया, जिसका क्षेत्र लगभग 338 वर्गफुट बताया गया। भांडी यह निर्माण स्थानीय स्तर पर साहू समाज से जुड़ा बताया गया, क्योंकि माता कर्मा को साहू समाज की आराध्य देवी माना जाता है, लेकिन यह धार्मिक आस्था का मामला जल्दी ही राजस्व और जल संसाधन विभाग की फाइलों में अतिक्रमण के विवाद में बदल गया।

**जब मामला बना अतिक्रमण**  
जांच के दौरान राजस्व अधिकारियों ने पाया कि जिस स्थान पर चौक बनाया गया है, वह भूमि नहर क्षेत्र के पास स्थित है और निर्माण की स्थिति पर सवाल उठे, इसी आधार पर प्रशासन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत अतिक्रमण का मामला दर्ज किया, संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, भांडी सरकारी प्रक्रिया के अनुसार यह साफ संकेत था कि प्रशासन इस निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई की दिशा में बढ़ रहा था।

**साहू समाज का जवाब**  
नोटिस मिलने के बाद साहू समाज जिला कोरिया की ओर से विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया कि चौक का नामकरण भक्त माता कर्मा के नाम पर किया गया है, ग्राम पंचायत भांडी ने 22 सितंबर 2022 को प्रस्ताव पारित किया था, चौक और चबूतरा के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री मद से लगभग 5 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी, निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की गई थी, भांडी यानी उनके अनुसार यह निर्माण किसी निजी कब्जे का नहीं बल्कि सार्वजनिक धार्मिक स्थल का निर्माण था।

**सरकारी फाइलों में आवा धामिका इटका**  
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल संसाधन विभाग की थी, क्योंकि निर्माण के पास से नहर गुजरती है, शुरुआती रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया कि निर्माण नहर की भूमि के भीतर किया गया है, यही आधार अतिक्रमण के आरोप का सबसे मजबूत तर्क था, लेकिन यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी।

**तीन साल बाद बदली तस्वीर**  
समय बीतता गया और मामला राजस्व न्यायालय में विचारधीन रहा, इसी दौरान 6 फरवरी 2026 को जल संसाधन विभाग का नया पत्र सामने आया, इस पत्र में विभाग ने लिखा कि ग्राम भांडी में बने कर्मा चौक के पीछे सिलफोडा जलशायी की माइनर नहर गुजरती है, निर्माण से नहर को कोई नुकसान नहीं हुआ कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, विभाग को इस निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, भांडी यह वही विभाग था, जिसकी शुरुआती टिप्पणियों के आधार पर अतिक्रमण की आशंका पैदा हुई थी, अब वही विभाग कह रहा था कि सब कुछ ठीक है।

**अदालत का फैसला**  
राजस्व न्यायालय, बैकुंठपुर ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया, आदेश में कहा गया कि जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण से नहर को कोई नुकसान नहीं है, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और सरकारी स्वीकृति मौजूद है, इसलिए यह निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता, इसी आधार पर न्यायालय ने प्रकरण समाप्त कर दिया और केस को दाखिल-दफ्तार कर दिया।

**लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं...**  
कानूनी रूप से मामला खत्म हो चुका है, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर निर्माण नहर की जमीन पर नहीं था, तो पहले इसे अतिक्रमण क्यों बताया गया? और अगर वाकई अतिक्रमण था, तो फिर अचानक वह वैध कैसे हो गया? सरकारी विभागों के बीच इस तरह के विरोधाभासी निकर्ष सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलते हैं।

**फाइलों का रहस्यमय यू-टर्न**  
इस मामले को देखने वाले कई लोगों का कहना है कि यह सरकारी फाइलों के यू-टर्न का क्लासिक उदाहरण बन गया है, क्योंकि पहले निर्माण नहर क्षेत्र में बताया गया फिर वही निर्माण नहर को बिना नुकसान वाला बताया गया, और अंत में मामला ही समाप्त कर दिया गया, अगर इसे व्यंग्य में कहा जाए तो ऐसा लगता है जैसे नहर अपनी जगह से नहीं हटी, लेकिन कागज़ों में उसकी सीमा बदल गई।

**प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल**  
ऐसे मामलों में सबसे बड़ी चिंता प्रशासनिक विश्वसनीयता की होती है, जब सरकारी दस्तावेज अलग-अलग समय पर अलग-अलग निकर्ष देने लगें, तो आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सही क्या है? क्या शुरुआती जांच गलत थी? या बाद की रिपोर्ट दबाव में बदली गई? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी दस्तावेज ही न्यायिक निर्णयों का आधार बनते हैं।

**अंत में...**  
भांडी गांव में बना भक्त माता कर्मा चौक आज भी वहीं खड़ा है, उसके आसपास नहर भी बह रही है और गांव का सामान्य जीवन भी चल रहा है, लेकिन सरकारी फाइलों में दर्ज उसकी कहानी यह बताती है कि प्रशासनिक दुनिया में सच हमेशा स्थिर नहीं रहता, कभी वह अतिक्रमण बन जाता है, कभी अनापत्ति, और जब सच बदलता है, तो उसके पीछे छिपे सवाल भी उतने ही बड़े हो जाते हैं, भांडी का यह मामला शायद आने वाले समय में सरकारी फाइलों के रहस्यमय यू-टर्न का एक उदाहरण बनकर याद किया जाएगा।

**कोरिया में 'नया नियम'? नहर की जमीन पर कब्जे को भी मिल सकती है NOC**

पहले बताया अतिक्रमण, अब दे दी अनापत्ति: कोरिया में नहर भूमि विवाद पर बड़ा खुलासा

- कोरिया में नया नियम: नहर की जमीन पर कब्जे को भी मिल सकती है NOC
- पहले अतिक्रमण दर्ज था, अब आती कर दी अनापत्ति: कोरिया में नहर भूमि विवाद पर बड़ा खुलासा
- नहर की जमीन पर कब्जा और अनापत्ति प्रमाण पत्र: प्रशासन कटघरे में...

**नहर पर बना चौक या फाइलों का खेल ?**

2023 में अतिक्रमण, 2026 में 'नो ऑब्जेक्शन'

सरकारी फाइलों का खेल, जो अब अतिक्रमण था, अब इन सब के पीछे प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र का खेल है।

**क्या माइनर नहर के किनारे कोई भी कर सकता है निर्माण ?**

सिर्फ नुकसान नहीं होगा, कहना काफी नहीं, विभाग की अनुमति और सुरक्षा दूरी जरूरी, माइनर नहर के किनारे निर्माण को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर किसी निर्माण से नहर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्या कोई भी व्यक्ति वहां निर्माण कर सकता है और बाद में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर एक कानूनी विशेषज्ञ से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिर्फ यह कहना कि निर्माण से नहर को नुकसान नहीं होगा, पर्याप्त नहीं है, विशेषज्ञ के अनुसार जल संसाधन या सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली नहरों, उनकी पट्टी और आसपास का रखरखाव क्षेत्र सामान्यतः सरकारी संपत्ति माना जाता है, नहर के दोनों किनारों पर एक निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र (सेफ्टी जोन) रखा जाता है, ताकि नहर की परम्पत, सफाई और रखरखाव में कोई बाधा न आए और पानी के प्रवाह पर भी असर न पड़े, इसी कारण नहर की भूमि या उसके सुरक्षा क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण अतिक्रमण माना जा सकता है और प्रशासन को उसे हटाने का अधिकार होता है। हालांकि कुछ मामलों में विभाग हल्का हाथ देता है, लेकिन यह आमतौर पर पुल, पुलिया, पाइपलाइन या सड़क क्रासिंग जैसे सार्वजनिक उपयोग के कार्यों तक सीमित होता है, निजी उपयोग के लिए स्थायी निर्माण—जैसे मकान, दुकान, चबूतरा या अन्य संरचना—नहर की भूमि या उसके सुरक्षा क्षेत्र में सामान्यतः अनुमति योग्य नहीं होते, स्थायी निर्माण सामान्यतः अनुमति योग्य नहीं होते। निर्माण तभी संभव है जब वह नहर की निर्धारित सीमा से बाहर हो और विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त हो, अन्यथा उसे प्रशासनिक रूप से अवैध निर्माण माना जा सकता है।



एलपीजी सिलेंडर की कमी के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस विधायक सस्पेंड

होटल संचालक परेशान : चरणदास महंत  
ये सदन अधिकार क्षेत्र से बाहर : अजय चंद्राकर

रायपुर, 12 मार्च 2026। विधानसभा के बजट सत्र में एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में सिलेंडर नहीं मिलने से लोग और होटल संचालक परेशान हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसे सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जिस पर पक्ष-विपक्ष में तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनहित को देखते हुए स्थान प्रस्ताव स्वीकार कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए स्थान प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह विषय केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए जिन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कार्यक्रमों के भुगतान के मुद्दे पर भाजपा विधायक लता उमेशी ने अपनी ही सरकार को घेरा और मौखिक-लिखित आदेशों पर हुए कार्यक्रमों का भुगतान न होने का सवाल उठाया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। इस पर कवामी लखमा ने तंज कसा, जब लता उमेशी की ही सुनवाई नहीं हो रही, तो हमारी क्या होगी?



मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11,762 करोड़ रुपए की अनुदान मांगें पारित...

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11 हजार 762 करोड़ 53 लाख रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं हैं। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162 करोड़ 53 लाख रुपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के समान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित हुई है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 25 किरतों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है।

जनवरी से 14 फरवरी तक ही 13 लोगों की जान जा चुकी है। इस पर मंत्री केदार करश्य ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विस्तार, वाहनों की संख्या बढ़ने और लोगों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, हालांकि 2024 की तुलना में 2025 में डेथ रेशियो कम हुआ है। विधायक ने ड्रिंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई और टॉपा सेंटर की कमी का मुद्दा भी उठाया। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और जहां ज्यादा हादसे हो रहे हैं, वहां संबंधित विभागों के साथ मिलकर समाधान किया जाएगा। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का

सत्ता पक्ष ने कहा...यह विधानसभा का विषय नहीं

स्थान प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई का विषय विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

विपक्ष का पलटवार वर्चस्व की मांग तेज

कांग्रेस विधायक उमेशा पटेल ने सत्ता पक्ष के तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री का बयान गैस को लेकर सदन में आ सकता है तो फिर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होना जरूरी है।

स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला प्रदेश में सभी 'संलग्नीकरण' तत्काल प्रभाव से निरस्त

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि सरगुजा में 75 से 80% पद भरे हुए हैं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कई कर्मचारी 'संलग्नीकरण' के जरिए अपनी मूल पोस्टिंग छोड़कर शहरों में जमे हुए हैं। सदन में एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए मंत्री ने घोषणा की कि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में किए गए सभी अनावश्यक संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

विषय गृह, परिवहन समेत कई विभागों से जुड़ा है, इसलिए सभी विभागों को समन्वय से काम करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में आर्टीई में 55000 सीट घटाने पर हाईकोर्ट सख्त  
एजुकेशन सेक्टर से मांगा जवाब,स्कूल में बच्चों से पुताई करवाने वाली प्राचार्य हटाई गईं

बिलासपुर, 12 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश में आर्टीई की 55 हजार सीट घटाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सरकार के फैसले से नाराज डिवीजन बेंच ने कहा कि, चालू शिक्षा सत्र में आर्टीई की संख्या 85 हजार से घटकर सीधे 30 हजार कैसे कर दी गई? इस पर शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा गया है। इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बताया कि, स्कूल में बच्चों से पुताई करवाने वाली प्राचार्या को हटा दिया गया है। आर्टीई से जुड़ी जनहित याचिका सहित स्कूल शिक्षा विभाग की अव्यवस्था को लेकर जनहित अन्य याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सूरजपुर के तिलसिवा के डीएवी मुख्मंत्रि पब्लिक स्कूल में बच्चों से पुताई और मजदूरी कराने को लेकर बहस हुई। मामले में पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र मांगा था। जिस पर बुधवार को शासन की तरफ से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, इसमें बताया गया कि सूरजपुर के तिलसिवा के डीएवी मुख्मंत्रि पब्लिक स्कूल की प्राचार्या विधु शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सुनील महानज को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आर्टीई की शिकायतों का निराकरण नहीं  
वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि आर्टीई के तहत दुर्ग में कुल 172 ऑफलाइन शिकायतों में से केवल 54 का निराकरण हुआ है, जबकि 118 मामले अब भी लंबित हैं। हाईकोर्ट ने



दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी को इन्हें 2 सप्ताह के भीतर निपटाने का आदेश दिया है। रायपुर के एक निजी स्कूल द्वारा बिना आवश्यक मान्यता के प्रवेश विज्ञापन जारी करने पर हाईकोर्ट ने उसे नया पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है।

कक्षा पहली में ही आरक्षण को चुनौती

हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका पर भी चर्चा हुई, इस याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें आर्टीई के तहत 25% आरक्षण को केवल पहली कक्षा तक सीमित कर दिया गया है और प्री-स्कूल यानी नर्सरी और केजी को इससे बाहर रखा गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कानून का उल्लंघन है और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही एक प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराया है।

पैरेंट्स के प्रति व्यवहार नहीं था प्रिंसिपल का व्यवहार

शासन ने जवाब में बताया कि, इस मामले की जांच की गई है, जिसमें पाया गया कि प्राचार्य का व्यवहार पालकों के प्रति बेहद रूखा और सख्त था। यह भी खुलासा हुआ कि वे बिना किसी आधिकारिक अनुमति के स्कूल परिसर में ही रह रही थीं और उनके पति का भी वहां आना-जाना लगा रहता था।

सड़क हादसों को लेकर हंगामा

इससे पहले सदन में सड़क हादसों में हो रही मौतों का मुद्दा गुंजा। अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह ने पूछा कि 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अकलतरा क्षेत्र में वर्ष 2024 में 76 लोगों की मौत हुई थी, जो 2025 में बढ़कर 86 हो गई। वहीं वर्ष 2026 में 1

छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती... पुलिस ने बीज सप्लाई करने वाले को राजस्थान से किया गिरफ्तार

दुर्ग, 12 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पुलगांव थाना क्षेत्र में करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन पर उगाई जा रही अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में बीज सप्लाई करने वाले चौथे आरोपी को भी पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम समोदा, झेनझरी और सिरसा के बीच स्थित खेत में उगाई जा रही अफीम की फसल जब्त की थी। जब्त किए गए अफीम के पौधों की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस प्रकरण में चौथा आरोपी भी पुलिस के हथके चढ़ गया है। आरोपी की पहचान छोट्ट राम (62) निवासी जोधपुर, राजस्थान के रूप में हुई है।



5 एकड़ से अधिक जमीन में फैली थी अफीम की खेती

संयुक्त पुलिस टीम ने खेत का निरीक्षण कर करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन में लगे अफीम के पौधों को जब्त किया। पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए पौधों की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है। मामले में पनडौरीपोस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पहले तीन आरोपी गिरफ्तार, अब चौथा भी पकड़ा

पुलिस जांच के दौरान पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें विकास बिश्नोई (जोधपुर, राजस्थान), विनायक ताम्रकार (तेमरापारा, दुर्ग) और मनीष उर्फ गोलू ठाकुर (समोदा) शामिल हैं। जांच में सामने आया कि अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराने में छोट्ट राम की अहम भूमिका थी। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम राजस्थान पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।

इलाके में ग्राम समोदा, झेनझरी और सिरसा के बीच स्थित खेत में अवैध अफीम की खेती किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पाया कि मक्का और भुट्टे की फसल के बीच-बीच में अफीम के पौधे बोध गए थे, ताकि बाहरी लोगों को इस पर संदेह न हो।

खेती के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी और हार्वेस्टर का इस्तेमाल : पुलिस ने आरोपियों से खेती में उपयोग किए जा रहे कई उपकरण भी जब्त किए हैं। इनमें 2 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी, 2 मोटरसाइकिल और 1 हार्वेस्टर शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है।

मुख्यमंत्री ने 'बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026' का किया शुभारंभ

बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर, 12 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री सूर्यंवर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 हजार 931 हिमाश्रिणियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिजली आज हमारी मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरकारी के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है और पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से सवे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले



प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आबादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हमारे अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निबंध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यंवर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वैंडर के रूप में कार्य किया जाना एक सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली

आईपीएस अमित कुमार केंद्र में एडीजी पद के लिए इम्पैनेलड 30 आईपीएस अफसरों में छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस चीफ का भी नाम, 1998 बैच के हैं अधिकारी

रायपुर, 12 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ केडर के 1998 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित कुमार केंद्र सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के लिए इम्पैनेल कर लिया है। वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस में एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी जनवरी 2024 में सौंपी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में 1998 बैच के कुल 30 आईपीएस अधिकारियों को एडीजी या समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। जिसमें अमित कुमार का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल है। इम्पैनेलमेंट के बाद यदि अमित कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति होती है, तो उन्हें केंद्र सरकार में एडीजी रैंक पर तैनाती मिल सकती है। इसे छत्तीसगढ़ केडर के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।



पहले भी केंद्र में निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारियाँ  
आईपीएस अमित कुमार इससे पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राज्य पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, जांजगीर और दुर्ग जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में भी काम किया है। इन जिलों में उनके कार्यकाल को प्रशासनिक सख्ती और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है।

भाजपा की नई मीडिया टीम घोषित.... 3 सहसंयोजक, 10 प्रवक्ता और 11 पैन्लिस्ट नियुक्त

रायपुर, 12 मार्च 2026। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई ने अपनी मीडिया टीम की नई सूची जारी कर दी है। यह सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष Kiran Singh Deo की सहमति से जारी की गई है। नई टीम में प्रदेश स्तर पर कुल 3 सहसंयोजक, 10 प्रदेश प्रवक्ता और 11 मीडिया पैन्लिस्ट की नियुक्ति की गई है। पार्टी संगठन की ओर से जारी इस सूची में मीडिया विभाग को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भाजपा का मानना है कि नई टीम के गठन से पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सकेगा। भाजपा संगठन के अनुसार मीडिया टीम पार्टी की गतिविधियों को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।



इसी को ध्यान में रखते हुए मीडिया विभाग को और मजबूत बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नई टीम संगठन और सरकार के कामकाज की जानकारी मीडिया और जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेगी। नई मीडिया टीम में शामिल किए गए सहसंयोजक, प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया

पैन्लिस्ट को पार्टी की विचारधारा, योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही यह टीम विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का पक्ष भी मजबूती से रखेगी। भाजपा संगठन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मीडिया विभाग को और सशक्त बनाने की आवश्यकता थी। नई टीम इसी दिशा में कार्य करेगी और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगी। पार्टी संगठन का कहना है कि नई मीडिया टीम के गठन से संगठन की गतिविधियों को अधिक गति मिलेगी और प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जा सकेगा।

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला.... कोटवार का पद बाप-दादा की जागीर नहीं अब वंश नहीं बल्कि योग्यता से होगी नियुक्ति  
धमतरी/बिलासपुर, 12 मार्च 2026। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दो ठूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि गांवों में 'कोटवार' का पद किसी भी परिवार की पुर्तनी जागीर नहीं है। अब इस पद पर नियुक्ति वंश परंपरा या रिश्तेदारी के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की योग्यता, चरित्र और प्रशासनिक उपयुक्तता के आधार पर होगी। दरअसल, यह पूरा मामला एक नियुक्ति विवाद से जुड़ा है। एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटते हुए दावा किया था कि उसके पिता गांव के कोटवार थे, इसलिए नए कोटवार को नियुक्ति में उसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, स्थानीय प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए एक अन्य पात्र और योग्य व्यक्ति को गांव का कोटवार नियुक्त कर दिया था। प्रशासन के इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिकार्डों और संबंधित नियमों का बारीकी से परीक्षण किया और प्रशासन द्वारा की गई नियुक्ति को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

अफीम की खेती पर कांग्रेस का प्रदर्शन... भाजपा कार्यालय घेराव के दौरान पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

बिलासपुर, 12 मार्च 2026। बिलासपुर में कोशिश की, जिससे पुलिस और उनके बीच धक्का-मुक्की हुई। पुलिस को कई बार प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलना पड़ा। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री और सिद्धार्थ मिश्रा ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित अफीम की खेती बिना किसी सांठगांठ के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता यह देखकर हैरान है कि

अफीम की खेती की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार नशे को संरक्षण देकर प्रदेश के युवाओं और उनके भविष्य को खतरों में डाल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे बंदरूत नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भाजपा कार्यालयों का घेराव और बड़े प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों अध्यक्षों ने चेतावनी दी कि अफीम की खेती के मामले में दौधियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो आगे भी उस आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी, विजय पंडे, राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र साहू, अभय नायण राय, प्रमोद नायक, संतोष सिंह, आशीष गोयल, शिल्पी तिवारी, संतोष गंग और हितेश देवांगन सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।

अफीम की खेती की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार नशे को संरक्षण देकर प्रदेश के युवाओं और उनके भविष्य को खतरों में डाल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे बंदरूत नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भाजपा कार्यालयों का घेराव और बड़े प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों अध्यक्षों ने चेतावनी दी कि अफीम की

सुशासन का दावा करने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में उनके ही नेता/कार्यकर्ता द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में

अफीम की खेती की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार नशे को संरक्षण देकर प्रदेश के युवाओं और उनके भविष्य को खतरों में डाल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे बंदरूत नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भाजपा कार्यालयों का घेराव और बड़े प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों अध्यक्षों ने चेतावनी दी कि अफीम की

खेती के मामले में दौधियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो आगे भी उस आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी, विजय पंडे, राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र साहू, अभय नायण राय, प्रमोद नायक, संतोष सिंह, आशीष गोयल, शिल्पी तिवारी, संतोष गंग और हितेश देवांगन सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।